

१५


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2014 (आषाढ 14, 1936)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2014 (ASADHA 14, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डिग्रियों का विनिर्देशन

नई दिल्ली, मार्च 2014

मि.सं. 5-1/2013 (सीपीपी-II)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधि सूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से इस अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित कर रहा है।

विनिर्देशित डिग्रियाँ

उच्चतर शिक्षा के समस्त स्तरों पर जिन डिग्रियों की विस्तृत नामावली विनिर्देशित की जा रही है। उनका सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। विनिर्देशित डिग्रियों की नामावलियों के साथ साथ, न्यूनतम प्रवेश स्तर अर्हताएं एवं पाठ्यक्रम की अवधि का भी दर्शाया गया है। निम्न तालिका के नीचे ऐसी डिग्रियों की नामावलियां भी दी गई हैं जो वर्तमान में प्रचलन में हैं परन्तु जिनमें न तो पारम्परिक और न ही वास्तविक ज्ञान नवाचार को प्रतिबिम्बित करने वाली बात पाई गई। ऐसी

डिग्रियों की नामावली को वि-विनिर्देशित किया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि दिए गए सुझावों के अनुसार उनको पुनर्गठित/परिवर्तित किया जाए।

सभी विषयों में सार्वभौमिक/सामान्य					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
1.	डी. लिट.	डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर	पोस्ट-डॉक्टरल	पीएचडी0
2.	डी. एससी.	डॉक्टर ऑफ साइंन्स	पोस्ट-डॉक्टरल	पीएचडी0
3.	एल.एल.डी.	डॉक्टर ऑफ लॉ	पोस्ट-डॉक्टरल	2	पीएचडी0
4.	पीएच.डी./डी.फिल	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी	पोस्ट-डॉक्टरल	2	मास्टर्स
5.	एम.फिल	मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी	पोस्ट-डॉक्टरल	1-1/2	मास्टर्स

कृषि एवं समवर्ती विषय					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
6.	बी.एससी. (एग्रीकल्चर)	बैचलर ऑफ साइंस (एग्रीकल्चर)	बैचलर्स	4	10+2
7.	एम.एससी. (एग्रीकल्चर)	मास्टर ऑफ साइंस (एग्रीकल्चर)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
8.	बी.एससी. (सेरीकल्चर)	बैचलर ऑफ साइंस (सेरीकल्चर)	बैचलर्स	4	10+2
9.	एम.एससी. (सेरीकल्चर)	मास्टर ऑफ साइंस (सेरीकल्चर)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
10.	बी.वी. एससी.	बैचलर ऑफ वैटनरी साइंस	बैचलर्स	4	10+2
11.	एम.वी. एससी.	मास्टर ऑफ वैटनरी साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स
12.	बी.एफ. एससी.	बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस	बैचलर्स	4	10+2
13.	एम.एफ. एससी.	मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स

पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
14.	बीजे	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म	बैचलर्स	1	बैचलर्स
15.	एमजे	मास्टर ऑफ जर्नलिज्म	मास्टर्स	1	बीजे
16.	बी.ए. (जर्नलिज्म)	बैचलर ऑफ आर्ट्स (जर्नलिज्म)	बैचलर्स	3	10+2
17.	एम.ए. (जर्नलिज्म)	मास्टर ऑफ आर्ट्स (जर्नलिज्म)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
बीजेएमसी/बीएमसी को बी0ए0 (जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

आर्ट्स/ह्यूमेनिटीज/सोशल साइंस					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
18.	बी.ए./बी.ए. (ऑनर्स)	बैचलर ऑफ आर्ट्स/बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
19.	एम.ए.	मास्टर ऑफ आर्ट्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
20.	बीएसडब्ल्यू	बैचलर ऑफ सोशल वर्क	बैचलर्स	3	10+2

21.	एमएसडब्ल्यू	मास्टर ऑफ सोशल वर्क	मास्टर्स	2	बैचलर्स
22.	बीआरएस	बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज	बैचलर्स	3	10+2
23.	एमआरएस	मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज	मास्टर्स	2	बैचलर्स
<p>बी.लिट. को बी.ए. (लिट्रेचर) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.लिट. को एम.ए. (लिट्रेचर) अथवा एम.फिल. के रूप में यथा स्थिति पुनर्गठित किया जाए बी.ओ.एल. को बी.ए. (ओरियन्टल लर्निंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.ओ.एल. को एम.ए. (ओरियन्टल लर्निंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.पी.एस. को बी.ए. (पॉपुलेशन स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.पी.एस. को एम.ए. (पॉपुलेशन स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.इन्ड. को एम.ए. (इन्डोलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएसएस को बी.ए. (सोशल स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.एस.एससी. को बी.ए. (सोशल स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए</p>					

एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
24.	बी0एड0	बैचलर आफ एजुकेशन	बैचलर्स	1	बैचलर्स
25.	बी0एल0एड0	बैचलर आफ एलीमेंटरी एजुकेशन	बैचलर्स	4	10+2
26.	एम0एड0	मास्टर आफ एजुकेशन	मास्टर्स	1	बी.एड.
27.	बी0पी0एड0	बैचलर आफ फिजीकल एजुकेशन	स्नातक	1	बैचलर्स
28.	एम0पी0एड0	मास्टर आफ फिजीकल एजुकेशन	मास्टर्स	1	बीपीएड
<p>बीपीई को बीपीएड के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमपीई को एमपीएड के रूप में पुनर्गठित किया जाए</p>					

विधि(लॉ)					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
29.	एल0एल0बी0	बैचलर आफ लॉ	बैचलर्स	3	बैचलर्स
30.	एल0एल0एम0	मास्टर आफ लॉ	मास्टर्स	2	मास्टर्स
31.	एल0एल0डी0	डॉक्टर आफ लॉ	पोस्ट पीएच.डी.	2	पीएच.डी.
<p>बी0सी0एल0 को एल0एल0बी0 (सिविल लॉ) अथवा एल0एल0बी0 (कामर्शियल लॉ) के रूप में पुनर्गठित किया जाए। बी0जी0एल0 को एल0एल0बी0 (जनरल लॉ) के रूप में पुनर्गठित किया जाए। बी0एल0 को एल0एल0बी0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए। एम0एल0 को एल0एल0एम0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए। डी0एल0 को एल0एल0डी0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए।</p>					

व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबन्धन/वित्त					
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
32.	बी.कॉम/बी.कॉम (ऑनर्स)	बैचलर आफ कामर्स/बैचलर आफ कामर्स (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
33.	एम.कॉम	मास्टर आफ कामर्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
34.	बीबीए	बैचलर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	बैचलर्स	3	10+2

35.	एमबीए	मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	मास्टर्स	2	बैचलर्स
36.	बीएमएस	बैचलर आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज	बैचलर्स	3	10+2
37.	एमएमएस	मास्टर आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज	स्नातकोत्तर	2	बैचलर्स
बीबीएस/बीबीएम/बीबीई को बीबीए अथवा बी.कॉम अथवा बी.कॉम (आनर्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीआईबीएफ को बीबीए अथवा बी.कॉम (इन्टरनेशनल बिजनेस एण्ड फाइनेन्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफएम/एमएफसी को एमबीए (फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमआईबी/एमआईबीएम को एमबीए/एम.कॉम (इन्टरनेशनल बिजनेस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचआरडी/एमएचआरओडी को एमबीए/एम.कॉम (ह्यूमन रिसोर्सिज डेवलपमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.एमकेटी.एम को एमबीए/एम.कॉम (मार्किटिंग मैनेजमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफटी को एमबीए/एम.कॉम (फॉरन ट्रेड) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचए को एमबीए/एम.कॉम (होस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफए को एमबीए/एम.कॉम (फाइनेन्शियल एनेलिसिस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमबीई को एमए/एमबीए/एम.कॉम (बिजनेस इकोनोमिक्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस					
विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता	
संक्षिप्त	विस्तारित				
38.	बी.लिब.साइंस	बैचलर आफ लाइब्रेरी साइंस	बैचलर्स	1	बैचलर
39.	बी.लिब.आई.साइंस	बैचलर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस	बैचलर्स	1	बैचलर
40.	एम.लिब.साइंस	मास्टर आफ लाइब्रेरी साइंस	मास्टर्स	1	बैचलर आफसाइंस
41.	एम.लिब.आई.साइंस	मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस	मास्टर्स	1	बैचलर आफ इन्फारमेशन साइंस
एम.एल.आई.साइंस को एम. लाइब्रेरी इन्फारमेशन साइंस के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

फाइन आर्ट/परफॉरमिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट					
विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता	
संक्षिप्त	विस्तारित				
42.	बीएफए	बैचलर आफ फाइन आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
43.	एमएफए	मास्टर आफ फाइन आर्ट्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
44.	बीवीए	बैचलर विजुअल आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
45.	एमवीए	मास्टर आफ विजुअल आर्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
46.	बीपीए	बैचलर आफ परफॉरमिंग आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
47.	एमपीए	मास्टर आफ परफॉरमिंग आर्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
बी.डान्स को बीपीए (डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.डान्स को एमपीए(डान्स)/एमएफए (डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.म्यूजिक को बीपीए(म्यूजिक)/बीएफए(म्यूजिक) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.म्यूजिक को एमपीए(म्यूजिक)/एमएफए(म्यूजिक) के रूप में पुनर्गठित किया जाए डी.म्यूजिक को पीएच.डी.(डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

होटल प्रबन्धन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा					
विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता	
संक्षिप्त	विस्तारित				
48.	बीएचएम	बैचलर आफ होटल मैनेजमेन्ट	बैचलर्स	4	10+2
49.	एमएचएम	मास्टर आफ होटल मैनेजमेन्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
50.	बीएचएमसीटी	बैचलर आफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कटरिंग टेक्नोलॉजी	बैचलर्स	4	10+2
51.	एमएचएमसीटी	मास्टर आफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कटरिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स

		टैक्नोलोजी			
52.	बीटीटीएम	बैचलर आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेन्ट	बैचलर्स	4	10+2
53.	एमटीटीएम	मास्टर आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेन्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जा रही डिग्रियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है : बीएचटीएम को बीएचएम/बीएचएमटीसी/बीटीटीएम के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीटीए को बीटीटीएम/बीबीए (टूरिज्म एण्ड ट्रेवल) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमटीए को एमटीटीएम अथवा एमबीए (टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएचएमटीटी को बीएचएम/बीएचएमसीटी/बीटीटीएम के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

विज्ञान						
		विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
		संक्षिप्त	विस्तारित			
54.	बी.एससी./बी.एससी.(ऑनर्स)	बैचलर आफ साइंस/बैचलर आफ साइंस (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2	
55.	एम.एससी.	मास्टर आफ साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
56.	बीसीए	बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	बैचलर्स	3	10+2	
57.	एमसीए	मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	मास्टर्स	3	बैचलर्स	
58.	बी.स्टैट	बैचलर आफ स्टैटिस्टिक्स	बैचलर्स	3	10+2	
59.	एम.स्टैट	मास्टर आफ स्टैटिस्टिक्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
बी.एस.एससी को बी.एससी (सेनेटरी साइंस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए						

अभियान्त्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तु शिल्प/ (डिजाइन)						
		विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
		संक्षिप्त	विस्तारित			
60.	बी.टैक	बैचलर आफ टैक्नोलोजी	बैचलर्स	4	10+2	
61.	एम.टैक	मास्टर आफ टैक्नोलोजी	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
62.	बीई	बैचलर आफ इन्जीनियरिंग	बैचलर्स	4	10+2	
63.	एमई	मास्टर आफ इन्जीनियरिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
64.	बी.आर्क	बैचलर आफ आर्किटेक्चर	बैचलर्स	5	10+2	
65.	एम.आर्क	मास्टर आफ आर्किटेक्चर	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
66.	बी.प्लान	बैचलर आफ प्लानिंग	बैचलर्स	4	10+2	
67.	एम.प्लान	मास्टर आफ प्लानिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
68.	बी.आई.डी.	बैचलर आफ इन्टीरियर	बैचलर्स	4	10+2	
69.	एम.आई.डी.	मास्टर आफ इन्टीरियर	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
70.	बी.डिजाइन	बैचलर आफ डिजाइन	बैचलर्स	4	10+2	
71.	एम.डिजाइन	मास्टर आफ डिजाइन	मास्टर्स	2	बैचलर्स	
बी.कैम.ई. को बी.टैक/बीई (कैमिकल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.कैम.टैक. को बी.टैक/बीई (कैमिकल टैक्नोलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीसीई को बी.टैक/बीई (सिविल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीईई को बी.टैक/बीई (इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमईई को एम.टैक/एमई (इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए						
व्यावसायिक शिक्षा						
72.	बी.वोक	बैचलर आफ वोकेशनल	बैचलर्स	3	10+2	

मेडिसन/सर्जरी/आयुर्वेद/होम्योपैथ/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग						
		विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
		संक्षिप्त	विस्तारित			
73.	एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी	बैचलर्स	5-1/2	10+2	
74.	एमडी	डॉक्टर ऑफ मेडिसन	मास्टर्स	3	बैचलर्स	

75.	एमएस	मास्टर ऑफ सर्जरी	मास्टर्स	3	बैचलर्स
76.	डीएम	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन	मास्टर्स के उपरांत	3	मास्टर्स
77.	एम.कैम.	मास्टर ऑफ चैरुरगाई	मास्टर्स के उपरांत	3	मास्टर्स
78.	एम.एससी. (मेडिकल एनेटमी)	मास्टर ऑफ साइंस (मेडिकल एनेटमी)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
79.	एम.एससी. (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री)	मास्टर ऑफ साइंस (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
80.	एम.एससी. (मेडिकल माइक्रोबायोलोजी)	मास्टर ऑफ साइंस (मेडिकल माइक्रोबायोलोजी)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
81.	एम.एससी. (मेडिकल फार्माकोलोजी)	मास्टर ऑफ साइंस (मेडिकल फार्माकोलोजी)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
82.	एम.एससी. (मेडिकल फिजियोलोजी)	मास्टर ऑफ साइंस (मेडिकल फिजियोलोजी)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
83.	एमएचए	मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	मास्टर्स	2	बैचलर्स
84.	एमपीएच	मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ	मास्टर्स	2	बैचलर्स
85.	बीडीएस	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बैचलर्स	5	10+2
86.	एमडीएस	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	मास्टर्स	3	बैचलर्स
87.	आयुर्वेद वाचस्पति	आयुर्वेद वाचस्पति	मास्टर्स के उपरांत	3	मास्टर्स
88.	अनु पारंगत	अनुपारंगत	मास्टर्स के उपरांत	1	मास्टर्स
89.	आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेदाचार्य	बैचलर्स	5	10+2
90.	बीएएमएस	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बैचलर्स	5-1/2	10+2
91.	बीएसएमएस	बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बैचलर्स	5-1/2	10+2
92.	एमडी (आयुर्वेद)	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (आयुर्वेद)	मास्टर्स	3	बैचलर्स
93.	बीएनवाईएस	बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक बैचलर्स साइंस	बैचलर्स	5	10+2
94.	बीएचएमएस	बैचलर आफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बैचलर्स	5-1/2	10+2
95.	एमडी (होम्यो)	डाक्टर आफ मेडिसिन (होम्यो)	मास्टर्स	3	बैचलर्स
96.	बीयूएमएस	बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बैचलर्स	5-1/2	10+2
97.	एमडी (यूनानी)	डाक्टर आफ मेडिसिन (यूनानी)		3	
98.	एमएससी(नर्सिंग)	मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
99.	बी.एससी.(नर्सिंग)	बैचलर आफ साइंस (नर्सिंग)	बैचलर्स	4	10+2
100.	बी.ओप्टम	बैचलर आफ आप्टोमेट्री	बैचलर्स	4	10+2
101.	एम.ओप्टम	मास्टर आफ आप्टोमेट्री	मास्टर्स	2	बी.आप्टम
102.	बीओटी	बैचलर आफ आक्यूपेशनल थेरेपी	बैचलर्स	4	10+2
103.	एमओटी	मास्टरआफ आक्यूपेशनल थेरेपी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
104.	बीपीटी	बैचलर आफ फिजियोथैरेपी	बैचलर्स	4-1/2	10+2

105.	एमपीटी	मास्टर आफ फिजियोथैरेपी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
106.	बीएससी (अभिघात देखरेख प्रबन्धन)	बैचलर आफ साइंस (ट्रौमा केयर मैनेजमेन्ट)	बैचलर्स	4	10+2
107.	फार्म.डी.	डाक्टर आफ फार्मसी	मास्टर्स	6	10+2
108.	एम.फार्म.	मास्टर आफ फार्मसी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
109.	बी.फार्म.	बैचलर आफ फार्मसी	बैचलर्स	4	10+2
110.	बी.फार्म (आयु)	बैचलर आफ फार्मसी (आयुर्वेद)	बैचलर्स	4	10+2
बीएएम/बीआईएम को बीएएमएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (आयु) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (योगिक) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएमएस को एम डी (आयुर्वेद) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएमएस को एमडी (होम्यो) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमयूएमएस को एम डी (यूनानी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएस (फार्म) को एम फार्म के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएस (ट्रौमा) को बी.एससी. (ट्रौमा केयर मैनेजमेन्ट सिस्टम) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमई को एम.एससी. (एपिडिमाइलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए					

पुनर्वास विज्ञान					
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
111.	बी.एड. स्पे.एड.	बैचलर आफ एजुकेशन—स्पेशल एजुकेशन	बैचलर्स	1	बैचलर्स
112.	एम.एड.स्पे.एड.	मास्टर आफ एजुकेशन—स्पेशल एजुकेशन	मास्टर्स	1	बीएड.स्पेशल एजुकेशन
113.	बी.पी.ओ.	बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स	बैचलर्स	4	10+2
114.	एम.पी.ओ.	मास्टर आफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स	मास्टर्स	2	बी.पी.ओ.
115.	बी.एसएलपी	बैचलर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्वेज पैथोलोजी	बैचलर्स	4	10+2
116.	एम.एसएलपी	मास्टर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्वेज पैथोलोजी	मास्टर्स	2	बी. एसएलपी
117.	बी.आर.एससी.	बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस	बैचलर्स	3	10+2
118.	एम.आर.एससी.	मास्टर इन रिहैबिलिटेशन साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स

संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियाँ				
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
119.	शास्त्री/शास्त्री (आनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
120.	आचार्य	मास्टर्स	2	बैचलर
121.	शिक्षा शास्त्री	बैचलर्स	1	बैचलर
122.	शिक्षा आचार्य	मास्टर्स	1	शिक्षा शास्त्री
123.	विशिष्टाचार्य	प्री-डॉक्टरल	1	आचार्य/मास्टर
124.	विद्या वारिधि	डॉक्टरल	2	मास्टर
125.	वाचस्पति	शोधोत्तर	2	पीएच.डी/विद्या वारिधि
विश्वविद्यालय इन डिग्रियों के अंग्रेजी समतुल्य शब्दों को विकृत/अनियमित रूप में अथवा चिन्ह /द्वारा अंक तालिका/डिग्री प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए स्वतन्त्र होंगे।				

उर्दू/फारसी/अरबी में डिग्रियों के विनिर्देशन				
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
126.	फाज़िल	बैचलर्स	3	10+2(आलिम/अफजल-उल-उलेमा प्राथमिक)
127.	अफजल-उल-उल्मा	बैचलर्स	3	10+2(आलिम/अफजल-उल-उलेमा प्राथमिक)
128.	कामिल	मास्टर्स	2	फाज़िल/अफजल-उल-उल्मा(बीए)
129.	मुमताज़ (मुमताज़ुल, तफसीर, मुमताज़ुल मोहदिदसिन, मुमताज़ुल फिक, मुमताज़ुल अदब आदि)	एम.फिल.	1	कामिल (एमए)
विश्वविद्यालय इन डिग्रियों के अंग्रेजी समतुल्य शब्दों को विकृत/अनियमित रूप में अथवा चिन्ह /द्वारा अंक तालिका/डिग्री प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए स्वतन्त्र होंगे।				

मार्गदर्शक सिद्धान्त:

डिग्रियों को सामुदायिक/वर्गगत रूप से विनिर्देशित किया जाना चाहिए तथा उनकी नामावलि ऐसी हो जिसे सामान्यतः पहचाना जा सके, वैश्विक रूप से जिसे स्वीकारा जाए तथा विस्तृत रूप में स्वीकार्य है तथा जो उन डिग्रियों के स्तर को तथा प्रमुख/विषय/धारा/ज्ञान क्षेत्रों से संबन्ध विश्वविद्यालय/संस्थान पाठ्यचर्या के नवोन्मेषी रूप को सूचित करने वाली हो तथा ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान विनिर्देशित जातिगत/वर्गगत डिग्रियों के विरुद्ध-चाहे अनियमित रूप से ही सही अपनी अपूर्वतायुक्त/विशेषज्ञता का संकेत देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

विश्वविद्यालय/संस्थान समेकित एवं दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम को न्याय संगत रूप से सावधानी पूर्वक प्रस्तावित कर सकते हैं। किसी भी दोहरे पाठ्यक्रम में एक से अधिक पाठ्य विषय सम्मिलित होता है जो अधिकांशतः अनुप्रस्थ स्थिति के होते हैं। जबकि कोई भी एकीकृत पाठ्यक्रम प्रगतिशील एवं संचित (एकत्रित) होता है। ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के पीछे जो अकादमिक विचार धारा/तर्कणा है उसका लक्ष्य पाठ्यचर्या अनिवार्यताओं को संक्षिप्त करना अथवा गतिशीलता के आधार पर दोहरी डिग्रियाँ प्रदान करना नहीं होना चाहिए तथा उसके विपरीत किसी भी एकीकृत दृष्टिकोण को ऊर्ध्वाधार/अन्तर विषयक लेखा विवरण से संलिप्त रहना चाहिए। किसी भी दोहरी डिग्री का बहु आयामी परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध अध्ययन विषयों का अधिक श्रेष्ठ विस्तार होना चाहिए। इस प्रक्रिया/विचारणा के अन्तर्गत यदि इसके अधिक न भी हो तथापि इसके समान ही पाठ्यचर्या अवधि एवं पाठ्यचर्या सम्प्रेषण के नवीन दृष्टिकोण होंगे। अतः दो या दो से अधिक अध्ययन विषयों को संयोजित करने वाले एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम की अनुमति केवल उसी स्थिति में होनी चाहिए यदि पाठ्यचर्या की अनिवार्यताओं नामतः अवधि, प्रश्न पत्रों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों, की सघनता पर, अध्यापन/अधिगम घंटों, क्रेडिट इत्यादि के बारे में यदि किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। अतः विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा एकीकृत एवं दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जाएँ, जो कि निम्न शर्तों के अधीन होंगे:-

अ) एकीकृत/दोहरे पाठ्यक्रम उन मानकों को क्षीण न बना दें जिन्हें विनियमों के माध्य से यूजीसी एवं अन्य सांविधिक संबद्ध प्राधिकरणों ने पाठ्यविवरण, पाठ्यक्रम अवधि एवं परीक्षा अनिवार्यताओं के लिए निर्धारित किया है।

ब) यदि एकीकृत दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम, एक अन्तरिम निर्गम अथवा पारिषदक प्रवेश के विकल्प के साथ दो पृथक प्रस्तुत रूप करने का लक्ष्य रखते हैं तो एकीकृत/दोहरे पाठ्यक्रम की अवधि उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि से कम नहीं होनी चाहिए जिनकी एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्यक्रमों में यह नामावली दर्शायी जाएगी बशर्तें ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों को "एकीकृत/दोहरी डिग्री की नामावली प्रदान की जाएगी (प्रथम डिग्री का नाम)-(अन्तिम डिग्री का नाम)" बशर्तें इसके साथ ही एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त दोनों डिग्रियों को वैयक्तिक एवं पृथक रूप से एकल एकीकृत डिग्री न मानकर, समानुरूप डिग्रियों के समतुल्य माना जायेगा।

स) यदि एकीकृत पाठ्यक्रम, निर्गम अथवा पारिषदक प्रवेश की अनुमति के बिना एकल डिग्री प्रदान करने को प्रस्तावित करता है तो ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि में दी जाने वाली छूट, संयोजित की जा रही उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि की 20 प्रतिशत सीमा तक की होगी जिन्हें एकल डिग्री के रूप में बनाया जा रहा है।

सामान्य अनुदेशः

1. जैसा इन अनुदेशों में अधिसूचित किया गया है, डिग्रियों की नामावली में किए गए समस्त परिवर्तन, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. उपरोक्त विनिर्देशित डिग्री को कोई विश्वविद्यालय जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उसके किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य कोई मानित विश्वविद्यालय के रूप वाला संस्थान जो धारा (3) के अन्तर्गत अथवा एक ऐसा संस्थान जिसे संसद द्वारा, यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों प्रदान अथवा स्वीकृत करने के लिए विशेष अधिकारों द्वारा समर्थ बनाया गया है, केवल वही विश्वविद्यालय इन डिग्रियों को प्रदान कर सकता है।
3. कोई भी विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी डिग्री प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है, विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने से पूर्व उन डिग्रियों की नामावलियों का पालन अधिदेशात्मक रूप से करना होगा तथा अनुदेशों के न्यूनतम मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
4. अनुमोदित नामावली को विशेषज्ञता के उस विशिष्ट क्षेत्र के अनुसरण में प्रतिबिम्बित किया जाए जैसा वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया गया है।
5. विश्वविद्यालय अध्ययन के ऐसे नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करें जो कि सामयिक एवं नवीन रूप से प्रकट होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सापेक्ष हैं तथा ऐसे नवोन्मेष अथवा विशेषज्ञता को उस वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया जाए, जो उन मुख्य विषयों/विषय क्षेत्रों में उन विनिर्देशित डिग्रियों में से किसी भी एक की नामावली में सम्मिलित हो।
6. विनिर्देशित डिग्रियों को समय-समय पर यूजीसी द्वारा पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालयों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

नवीन डिग्रियों का विनिर्देशन

7. आगे से विश्वविद्यालय डिग्रियों की कोई भी नवीन नामावली प्रस्तावित नहीं करेंगे जब तक कि इसके लिए कोई अत्यन्त सशक्त एवं तर्कपूर्ण कारण न हो। यदि किसी भी स्थिति में कोई विश्वविद्यालय एक नवीन नामावलि प्रस्तावित करने का इच्छुक है तो ऐसे विनिर्देशन के लिए इस डिग्री पाठ्यक्रम के प्रारम्भ करने के न्यूनतम छः माह पूर्व उसे यूजीसी से सम्पर्क करना होगा तथा उस डिग्री के प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों का विवरण प्रदान करना होगा जिन्हें विश्वविद्यालय/संस्थान के संबद्ध अकादमिक निकायों द्वारा जैसे कि अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद अनुमोदित किया गया है।
8. समस्त विश्वविद्यालय (उनसे सहसंबद्ध महाविद्यालयों सहित) डिग्री प्रदान करने के लिए उन न्यूनतम अनुदेशों के मानकों एवं निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, जिन्हें विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त शिक्षक/स्टाफ द्वारा प्रदान किया गया है तथा इन मानकों के अनुसार प्रदत्त उपयुक्त अकादमिक भौतिक अवसंरचना सुविधाओं का पालन करेगी जिन्हें संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (ए.आई. सी.टी.ई.) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई), भारतीय फार्मसी परिषद (पी.सी.आई.) भारतीय वास्तु शिल्पकार परिषद (सी. ओ.ए.), भारतीय विधि परिषद (बी.सी.आई), शिक्षक प्रशिक्षण भारतीय परिषद (एन.सी.टी.ई.), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी. सी.आई.), भारतीय परिचर्या परिषद (एन.सी.आई), इत्यादि द्वारा उनकी क्रमिक अधिसूचनाओं/विनियमों में निर्धारित किया गया है।
9. किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही विनिर्देशित डिग्रियों तथा संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के न्यूनतम मानकों एवं सह संबद्ध महाविद्यालय विनियमों को उस विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका पुस्तिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा तथा इसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

यूजीसी द्वारा निरीक्षण

10. उपरोक्त अनुदेश/मानकों के प्रति सम अनुरूपता के विषय में प्रत्येक विश्वविद्यालय (अपने सह सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) समस्त सूचना यूजीसी को प्रेषित करेगा।

11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस विश्वविद्यालय एवं उसके सह सम्बद्ध महाविद्यालयों—विस्तार केन्द्रों/क्षेत्रीय/अध्ययन केन्द्रों एवं डिग्री स्तर तक की सुविधाएँ प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का आवधिक निरीक्षण करा सकता है।
12. ऐसे निरीक्षण के पश्चात यूजीसी, चूक करने वाले दोषी विश्वविद्यालयों/सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपनी विहित कमियों/गैर अनुकूलन को सुधारने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करेगा।

इन अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन करने में असफल होने के परिणाम:

13. दोषी विश्वविद्यालय/सह संबद्ध महाविद्यालय किसी भी अ-विनिर्देशित डिग्री प्रदान करने के लिये कोई पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निषिद्ध होंगे।
14. इस अधिसूचना के उल्लंघन में प्रदान की गई कोई भी डिग्री एक अविनिर्देशित डिग्री मानी जाएगी तथा यूजीसी द्वारा विधिवत संतुष्ट होने के उपरान्त, कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है, इसे इस रूप से घोषित किया जाएगा। जन साधारण की सूचना के लिए यूजीसी, उल्लंघन कर्ता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही अविनिर्देशित डिग्रियों का आवश्यक प्रचार प्रसार करेगा।
15. संबद्ध विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं उसके सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियामकों के अनुपालन पर नजर रखे तथा किए गए उल्लंघनों के अनुसार उल्लंघनकर्ता महाविद्यालयों को असम्बद्ध कर दें।
16. उपरोक्त अनुच्छेद 14 के अनुसार पारित आदेश की एक प्रति यूजीसी द्वारा सम्बद्ध आदेश में विनिर्दिष्ट अध्ययन सामग्री के संबंध में जिस दिन जारी की जाएगी, उसी दिन से उस संस्थान की सहसंबद्धता समाप्त मानी जाएगी। ऐसी संबद्धता की समाप्ति की तिथि से तथा उसके पश्चात आगामी तीन वर्षों तक के लिए उस संस्थान को ऐसे या इसी प्रकार की डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।
17. उपरोक्त अनुसार डिग्रियों के विनिर्देशन के उल्लंघन के कारण दोषी विश्वविद्यालय एवं सहसंबद्ध महाविद्यालय, यूजीसी द्वारा उचित मानी गई कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अ-विनिर्देशित डिग्रियों का विवरण

18. दिनांक 23.5.2009 की गत सूचना में जो डिग्रियाँ विनिर्दिष्ट की गयीं थीं परन्तु जिन्हें अब विनिर्देशित कर दिया गया है, उन्हें उन छात्रों के मामलों में वैध माना जाएगा जो छात्र ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों में इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व ही नामांकित किए गए थे।

जसपाल एस संघु
सचिव

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

SPECIFICATION OF DEGREES

NEW DELHI, March, 2014

NO. F. 5-1/2013 (CPP-II)--In exercise of the powers conferred by sub-Section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of all earlier Gazette Notifications pertaining to specification of degrees, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby specifies the nomenclature of degree for the purposes of the said section.

SPECIFIED DEGREES

Broad discipline-wise nomenclatures of degrees at all levels of higher education should be taken as the specified degree, which the universities/institutions must adhere to, are given below. Alongside the nomenclature of the degrees, minimum entry-level qualifications and duration of the programmes have also been indicated. The information is presented in a tabular form for clarity. In the bottom-most row of each table, nomenclatures of degrees that are presently in vogue in some institutions were found to be neither conventional, nor reflective of a real innovation in knowledge and are de-specified with the suggestion that the same may be restructured/changed as suggested therein.

Universal/Common to All Disciplines					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
1.	D.Litt.	Doctor of Literature	Post Doctoral	PhD
2.	D.Sc.	Doctor of Science	Post Doctoral	PhD
3.	L.L.D.	Doctor of Laws	Post Doctoral	2	PhD
4.	Ph.D. /D. Phil	Doctor of Philosophy	Doctoral	2	MASTER'S
5.	M. Phil	Master of Philosophy	Pre Doctoral	1-1/2	MASTER'S
Agriculture & Allied Disciplines:					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
6.	B.Sc. (Agriculture)	Bachelor of Science (Agriculture)	BACHELOR'S	4	10+2
7.	M.Sc. (Agriculture)	Master of Science (Agriculture)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
8.	B.Sc. (Sericulture)	Bachelor of Science (Sericulture)	BACHELOR'S	4	10+2
9.	M.Sc. (Sericulture)	Master of Science (Sericulture)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
10.	B.V. Sc	Bachelor of Veterinary Sciences	BACHELOR'S	4	10+2
11.	M.V. Sc.	Master of Veterinary Sciences	MASTER'S	2	BACHELOR'S
12.	B. F. Sc.	Bachelor of Fisheries Sciences	BACHELOR'S	4	10+2
13.	M. F. Sc.	Master of Fisheries Sciences	MASTER'S	2	BACHELOR'S

Journalism/Mass Communication/Media:					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
14.	BJ	Bachelor of Journalism	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
15.	MJ	Master of Journalism	MASTER'S	1	BJ
16.	BA(Journalism)	Bachelor of Arts (Journalism)	BACHELOR'S	3	10+2
17.	MA (Journalism)	Masters of Arts (Journalism)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
	BJMC/BMC	be restructured as	BA (Journalism & Mass Communication)		
	MJMC/MMC	be restructured as	MA (Journalism & Mass Communication)		
	BMM	be restructured as	BA (Multimedia)/ B. Sc (Multimedia)		
	MMC	be restructured as	MA (Mass Communication)		

Arts/Humanities/Social Sciences:					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
18.	BA/ B.A. (Hons)	Bachelor of Arts/ Bachelor of Arts (Hons)	BACHELOR'S	3	10+2
19.	MA	Masters of Arts	MASTER'S	2	BACHELOR'S
20.	BSW	Bachelor of Social Work	BACHELOR'S	3	10+2
21.	MSW	Master of Social Work	MASTER'S	2	BACHELOR'S
22.	BRS	Bachelor of Rural Studies	BACHELOR'S	3	10+2
23.	MRS	Master of Rural Studies	MASTER'S	2	BACHELOR'S
	B. Lit.	be restructured as BA (Literature)			
	M. Lit.	be restructured as MA (Literature) or as M. Phil, as the case may be			
	BOL	be restructured as BA (Oriental Learning)			
	MOL	be restructured as MA (Oriental Learning)			
	BPS	be restructured as BA (Population Studies)			
	MPS	be restructured as MA (Population Studies)			
	M. Ind.	be restructured as MA (Indology)			
	BSS	be restructured as BA (Social Studies)			
	B.S. Sc	be restructured as BA (Social Science)			

Education/ Teachers Training					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Eligibility Qualification
	Abbreviated	Expanded			
24.	B. Ed	Bachelor of Education	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
25.	B. El. Ed	Bachelor of Elementary Education	BACHELOR'S	4	10+2
26.	M.Ed.	Master of Education	MASTER'S	1	B.Ed.
27.	BPED	Bachelor of Physical Education	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
28.	MPEd	Master of Physical Education	MASTER'S	1	BPED
	BPE	be restructured as BPED			
	MPE	be restructured as MPEd			

Law					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration Years	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
29.	LLB	Bachelor of Law	BACHELOR'S	3	BACHELOR'S
30.	LLM	Master of Law	MASTER'S	2	BACHELOR'S
31.	LLD	Doctor of Law	Post PhD	2	PhD
	BCL	be restructured as LLB (Civil Law) or as LLB (Commercial Law), as the case may be			
	BGL	be restructured as LLB (General Law)			
	BL	be restructured as LLB			
	ML	be restructured as LLM			
	DL	be restructured as LLD			

Business Administration/Commerce/Management/Finance					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
32.	B. Com/ B.Com (Hons)	Bachelor of Commerce/Bachelor of Commerce (Hons)	BACHELOR'S	3	10+2
33.	M. Com	Master of Commerce	MASTER'S	2	BACHELOR'S
34.	BBA	Bachelor of Business Administration	BACHELOR'S	3	10+2
35.	MBA	Master of Business Administration	MASTER'S	2	BACHELOR'S

36.	BMS	Bachelor of Management Studies	BACHELOR'S	3	10+2
37.	MMS	Master of Management Studies	MASTER'S	2	BACHELOR'S
	BBS/BBM/BBE	be restructured as	BBA or B. Com or B. Com (Hons)		
	BIBF	be restructured as	BBA or B.Com (International Business & Finance)		
	MFM/MFC	be restructured as	MBA (Financial Management)		
	MIB/MIBM	be restructured as	MBA/M.Com. (International Business)		
	MHRD/MHROD	be restructured as	MBA/M.Com (Human Resource Development)		
	M. Mkt. M.	be restructured as	MBA/M.Com. (Marketing Management)		
	MFT	be restructured as	MBA/M.Com. (Foreign Trade)		
	MHA	be restructured as	MBA/M.Com (Hospital Administration)		
	MFA	be restructured as	MBA/M.Com. (Financial Analysis)		
	MBE	be restructured as	MA/MBA/M.Com (Business Economics)		

Library & Information Sciences:					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
38.	B. Lib. Sc.	Bachelor of Library Sciences	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
39.	B. Lib. I. Sc	Bachelor of Library & Information Sciences	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
40.	M. Lib. Sc	Master of Library Sciences	MASTER'S	1	B. Lib. Sc.
41.	M. Lib .I. Sc	Master of Library & Information Sciences	MASTER'S	1	B. Lib. I. Sc
	M. L. I. Sc.	be restructured as	M. Lib. I. Sc		

Fine Arts/Performing Arts/Visual Arts/Applied Arts					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
42.	BFA	Bachelor of Fine Arts	BACHELOR'S	4	10+2
43.	MFA	Master of Fine Arts	MASTER'S	2	BACHELOR'S
44.	BVA	Bachelor of Visual Arts	BACHELOR'S	4	10+2
45.	MVA	Master of Visual Arts	MASTER'S	2	BACHELOR'S
46.	BPA	Bachelor of Performing Arts	BACHELOR'S	4	10+2
47.	MPA	Master of Performing Arts	MASTER'S	2	BACHELOR'S
	B. Dance	be restructured as	BPA(Dance)/BFA (Dance)		
	M. Dance	be restructured as	MPA (Dance)/MFA (Dance)		
	B. Mus.	be restructured as	BPA (Music)/BFA (Music)		
	M.Mus.	be restructured as	MPA (Music)/MFA (Music)		
	D. Mus.	be restructured as	PhD		

Hotel Management/Hospitality/Tourism/Travel					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
48.	BHM	Bachelor of Hotel Management	BACHELOR'S	4	10+2
49.	MHM	Master of Hotel Management	MASTER'S	2	BACHELOR'S
50.	BHMCT	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology	BACHELOR'S	4	10+2
51.	MHMCT	Master of Hotel Management & Catering Technology	MASTER'S	2	BACHELOR'S
52.	BTTM	Bachelor of Tourism & Travel Management	BACHELOR'S	4	10+2
53.	MTTM	Masters of Tourism & Travel Management	MASTER'S	2	BACHELOR'S

Will require restructuring of some degrees being offered by a few universities:		
BHTM	be restructured as	BHM/ BHMCT /BTM
BTA	be restructured as	BTTM/ BBA (Tourism & Travel)
MTA	be restructured as	MTTM or as MBA (Tourism & Travel Management)
BHMTT	be restructured as	BHM/BHMCT/BTTM

Sciences					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
54.	B.Sc./B.Sc. (Hons)	Bachelor of Science/Bachelor of Science (Hons)	BACHELOR'S	3	10+2
55.	M. Sc.	Master of Science	MASTER'S	2	BACHELOR'S
56.	BCA	Bachelor of Computer Applications	BACHELOR'S	3	10+2
57.	MCA	Master of Computer Applications	MASTER'S	3	BACHELOR'S
58.	B. Stat	Bachelor of Statistics	BACHELOR'S	3	10+2
59.	M. Stat	Master of Statistics	MASTER'S	2	BACHELOR'S
B. S. Sc be restructured as B. Sc (Sanitary Sciences)					
Engineering/Technology/Architecture/Design					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
60.	B. Tech	Bachelor of Technology	BACHELOR'S	4	10+2
61.	M. Tech	Master of Technology	MASTER'S	2	BACHELOR'S
62.	BE	Bachelor of Engineering	BACHELOR'S	4	10+2
63.	ME	Master of Engineering	MASTER'S	2	BACHELOR'S
64.	B. Arch	Bachelor of Architecture	BACHELOR'S	5	10+2
65.	M. Arch.	Master of Architecture	MASTER'S	2	BACHELOR'S
66.	B. Plan	Bachelor of Planning	BACHELOR'S	4	10+2
67.	M. Plan	Master of Planning	MASTER'S	2	BACHELOR'S
68.	B.I.D	Bachelor of Interior Design	BACHELOR'S	4	10+2
69.	M.I.D	Master of Interior Design	MASTER'S	2	BACHELOR'S
70.	B. Des.	Bachelor of Design	BACHELOR'S	4	10+2
71.	M. Des.	Master of Design	MASTER'S	2	BACHELOR'S
B. Ch. E. be restructured as B. Tech/BE (Chemical Engineering)					
B. Chem. Tech be restructured as B. Tech/BE (Chemical Technology)					
BCE be restructured as B. Tech/BE (Civil Engineering)					
BEE be restructured as B. Tech/BE (Electrical Engineering)					
MEE be restructured as M. Tech/ME (Electrical Engineering)					

Vocational Education					
72.	B.Voc.	Bachelor of Vocation	Bachelor's	3	10+2

Medicine & Surgery/ Ayurveda/ Unani/Homeopathy/Health & Allied Sciences/Paramedical/Nursing:					
	Specified Degrees		Level	Minimum Duration (Years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
73.	MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	BACHELOR'S	5-1/2	10+2
74.	MD	Doctor of Medicine	MASTER'S	3	BACHELOR'S
75.	MS	Master of Surgery	MASTER'S	3	BACHELOR'S
76.	DM	Doctor of Medicine	Post MASTER'S	3	MASTER'S

77.	M.Ch.	Master of Chirurgiae	Post MASTER'S	3	MASTER'S
78.	M. Sc. (Medical Anatomy)	Master of Science (Medical Anatomy)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
79.	M. Sc. (Medical Biochemistry)	Master of Science (Medical Biochemistry)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
80.	M. Sc. (Medical Microbiology)	Master of Science in Medical Microbiology	MASTER'S	2	BACHELOR'S
81.	M. Sc. (Medical Pharmacology)	Master of Science in Medical Pharmacology	MASTER'S	2	BACHELOR'S
82.	M. Sc. (Medical Physiology)	Master of Science in Medical Physiology	MASTER'S	2	BACHELOR'S
83.	MHA	Master of Hospital Administration	MASTER'S	2	BACHELOR'S
84.	MPH	Master of Public Health	MASTER'S	2	BACHELOR'S
85.	BDS	Bachelor of Dental Surgery	BACHELOR'S	5	10+2
86.	MDS	Master of Dental Surgery	MASTER'S	3	BACHELOR'S
87.	Ayurveda Vachaspati	Ayurveda Vachaspati	Post MASTER'S	3	MASTER'S
88.	Anu Parangat	Anu Parangat	Post MASTER'S	1	MASTER'S
89.	Ayurvedacharya	Ayurvedacharya	BACHELOR'S	5	10+2
90.	BAMS	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery	BACHELOR'S	5-1/2	10+2
91.	BSMS	Bachelor of Siddha Medicine & Surgery	BACHELOR'S	5-1/2	10+2
92.	MD (Ayurveda)	Doctor of Medicine (Ayurveda)	MASTER'S	3	BACHELOR'S
93.	BNYS	Bachelor of Naturopathy & Yogic Sciences	BACHELOR'S	5	10+2
94.	BHMS	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery	BACHELOR'S	5-1/2	10+2
95.	MD (Hom)	Doctor of Medicine (Homeo)	MASTER'S	3	BACHELOR'S
96.	BUMS	Bachelor of Unani Medicine & Surgery	BACHELOR'S	5-1/2	10+2
97.	MD (Unani)	Doctor of Medicine (Unani)		3	
98.	M.Sc. (Nursing)	Master of Science (Nursing)	MASTER'S	2	BACHELOR'S
99.	B.Sc.(Nursing)	Bachelor of Science (Nursing)	BACHELOR'S	4	10+2
100.	B. Optom	Bachelor of Optometry	BACHELOR'S	4	10+2
101.	M. Optom	Master of Optometry	MASTER'S	2	B. Optom
102.	BOT	Bachelor of Occupational Therapy	BACHELOR'S	4	10+2
103.	MOT	Master of Occupational Therapy	MASTER'S	2	BACHELOR'S
104.	BPT	Bachelor of Physiotherapy	BACHELOR'S	4-1/2	10+2
105.	MPT	Master of Physiotherapy	MASTER'S	2	BACHELOR'S
106.	B. Sc (Trauma Care Management)	Bachelor of Science (Trauma Care Management)	BACHELOR'S	4	10+2
107.	Pharm. D	Doctor of Pharmacy	MASTER'S	6	10+2
108.	M. Pharm.	Master of Pharmacy	MASTER'S	2	BACHELOR'S
109.	B. Pharm.	Bachelor of Pharmacy	BACHELOR'S	4	10+2
110.	B. Pharm (Ayu)	Bachelor of Pharmacy (Ayurveda)	BACHELOR'S	4	10+2
	BAM/BIM	be restructured as	BAMS		
	B. Nat (Ayu)	be restructured as	BNYS		
	B. Nat (Yogic)	be restructured as	BNYS		
	MAMS	be restructured as	MD (Ayurveda)		
	MHMS	be restructured as	MD (Homeo)		
	MUMS	be restructured as	MD (Unani)		

MS (Pharm)	be restructured as	M. Pharm
BS (Trauma..)	be restructured as	B. Sc. (Trauma Care Management System)
MAE	be restructured as	M.Sc. (Applied Epidemiology)

Rehabilitation Sciences					
S. No.	Specified Degrees		Level	Minimum duration years	Entry Qualifications
	Abbreviated	Expanded			
111	B.Ed. Spl. Ed.	Bachelor of Education - Special Education	BACHELOR'S	1	BACHELOR'S
112	M.Ed. Spl. Ed.	Master of Education - Special Education	MASTER'S	1	B.Ed. Special Education
113	B.P.O.	Bachelor in Prosthetics & Orthotics	BACHELOR'S	4	10+2
114	M.P.O.	Master in Prosthetics & Orthotics	MASTER'S	2	B.P.O
115	B. ASLP	Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology	BACHELOR'S	4	10+2
116	M. ASLP	Master in Audiology and Speech Language Pathology	MASTER'S	2	B.ASLP
117	B. R. Sc.	Bachelor in Rehabilitation Science	BACHELOR'S	3	10+2
118	M. R. Sc.	Master in Rehabilitation Science	MASTER'S	2	BACHELOR'S

Sanskrit Sounding Degrees				
S. No.	Specified Degrees	Level	Minimum duration (Years)	Entry Qualification
119	Shastri/Shastri(Hons.)	BACHELOR'S	3	10+2
120	Acharya	MASTER'S	2	Bachelor
121	Shiksha Shastri	BACHELOR'S	1	Bachelor
122	Shiksha Acharya	MASTER'S	1	Shiksha Shastri
123	Vishistacharya	PRE- DOCTORAL	1	Acharya/ Master
124	Vidya Varidhi	DOCTORAL	2	Master
125	Vachaspati	POST DOCTORAL	2	Ph.D/Vidya Varidhi

The Universities shall be free to write English equivalent of these degrees, if they so desire, in the mark sheet/degree certificates either in parentheses or slash.

Specification of Degrees with Urdu/Persian/Arabic nomenclature				
Sl. No.	Specified Degrees	Level	Minimum duration (Years)	Entry Qualification
126.	Fazil	BACHELOR'S	3 years	10+2 (Alim/Afzal-Ul-Ulema Preliminary)
127.	Afzal-Ul-Ulma	BACHELOR'S	3years	10+2 (Alim/Afzal-Ul-Ulma Preliminary)
128.	Kamil	MASTER'S	2 years	Fazil/Afzal-Ul-Ulma (BA)
129.	Mumtaz (Mumtazul Tafseer, Mumtazul Mohaddisin, Mumtazul Fiqh, Mumtazul Adab etc.)	M.PHIL.	1 year	Kamil (MA)

The universities shall be free to write English equivalent of these degrees, if they so desire in the mark sheet/degree certificates either in parentheses or slash.

Guiding Principles:

Degrees should be specified in generic terms and their nomenclatures should be such that are generally recognised, globally acknowledged and widely accepted and are indicative of the level of the degrees and the broad subject/ discipline/ knowledge area universities/institutions, in curricular innovation, shall have the freedom to indicate uniqueness/ specialisation in parentheses against the specified generic degrees.

Universities/institutions may introduce Integrated and Dual Degree Programmes judiciously and with caution. A dual degree programme combines more than one subject, mostly in a horizontal spread, whereas an Integrated Programme is progressive and cumulative. The academic philosophy/rationale behind offering such integrated programmes should not be for economising on course requirements or award of double degrees in a fast track; on the contrary, an integrated approach should involve a vertical/inter-disciplinary discourse. A dual degree should aim for a better comprehension of the related subjects of study from a multi-dimensional perspective. This would necessarily entail an equal, if not more, course duration and a newer approach of curricular transaction and additional interactive courses. Thus an Integrated/Dual Degree Programme combining two or more disciplines shall be permissible only if there is no compromise on any of the course requirements, viz. duration, number of papers and intensity of courses, teaching/learning hours, credits, etc. Integrated and Dual Degree Programmes are therefore, be introduced by the universities/ institutions subject to the following conditions:

- a) The Integrated/Dual Degree Programmes must not dilute the standards as prescribed under the Regulations made by the UGC and other Statutory authorities concerned in terms of syllabi, programme duration and examination requirements.
- b) If the Integrated/Dual Degree Programmes intend to offer two separate degrees with an option for an interim exit or lateral entry, the duration of the Integrated/Dual Degree Programme must not be less than the duration equal to the sum total of the prescribed duration of the two degrees that are being combined in the Integrated/Dual Degree Programme. Provided that all such programmes would carry the nomenclature of "Integrated/Dual Degree (name of the first degree) - (name of the final degree)". Provided further that both the degrees awarded under the Integrated/Dual Degree programme shall be individually and separately recognised as equivalent to corresponding degrees and not as one single integrated degree.
- c) If the Integrated Programme intends to offer a single degree without permission to exit and lateral entry, the programme duration may be relaxed by not more than 20% of the sum total of the prescribed duration of the two degrees that are being combined to make the single Integrated degree.

General Instructions:

1. All the changes in the nomenclature of the degrees, as notified herewith will come into effect from the date of their notification in the official Gazette.
2. The above specified degrees shall be awarded by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act or an institution deemed to be a University under section 3 or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees under section 22 of the UGC Act, 1956.
3. No University shall confer a degree in violation of the provisions of this notification. It shall be mandatory for the Universities to adhere to the approved nomenclature of the degree(s) and ensure the observance of the minimum standards of instructions before award of a degree as hereinafter prescribed.
4. The approved nomenclature may be followed by the specific area of specialization to be reflected in parentheses.
5. The universities may launch new programmes of study relevant to the contemporary and emerging societal needs and such innovation or specialization may be indicated in the parentheses within the nomenclature of any of the specified degrees in the broad discipline/ areas.
6. The specified degrees shall be reviewed and updated by the UGC from time to time under intimation to all the universities.

Specification of New Degrees

7. Henceforth, the Universities shall not introduce any new nomenclature of degrees unless there is a very strong and genuine reason. Should a University intend to introduce a new nomenclature, it shall approach the UGC for its specification at least six months prior to starting the degree programme along with the details of the courses of study prescribed for the degree as approved by the respective academic bodies of the university / institution, such as – Board of Studies, Academic Council and Governing Council.
8. All the universities (including affiliated colleges thereto) shall observe the minimum standards of instruction and prescribed norms for the grant of a degree which shall be imparted by the duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed by the concerned statutory / regulating bodies, such as University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Pharmacy Council of India (PCI), Council for Architecture (COA), Bar Council of India

(BCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Dental Council of India (DCI), Indian Nursing Council (INC), etc. in their respective notifications/ regulations.

9. The specified degrees offered by a University and the minimum standards of instruction and norms prescribed as laid down by the concerned statutory / regulatory bodies shall be prominently published in the admission brochure of concerned University / affiliated College and shall also be made available in their website.

Inspection by UGC

10. Each University shall furnish information relating to the conformity to the above standards of instructions (including its affiliated colleges) to the UGC.
11. The UGC may cause periodic inspection of the University and its affiliated colleges including extension/ regional/ study centers and such other facilities offering the courses leading to a degree.
12. After such inspection, the UGC may give reasonable opportunity to the defaulting Universities / affiliated colleges to rectify the identified deficiency/ non-conformity.

Consequences of failure of Universities to comply with these instructions:

13. The defaulting University / Affiliated College shall be prohibited from offering any course for the award of unspecified degree.
14. Any degree awarded in contravention to this notification shall be deemed to be an unspecified degree and shall be declared as such by the UGC after duly satisfying itself as to the violation of this notification. The UGC shall give due publicity regarding the defaulting Universities/ colleges and unspecified degrees offered by them for the information of the general public.
15. It shall be the responsibility of the respective University to keep a watch over the observance of prescribed norms by itself and by the affiliated colleges and disaffiliate the defaulting colleges to the extent of violations.
16. The UGC shall forward a copy of the order made under clause 14 above to the university concerned, and on and from the date of receipt of a copy of such order by the university, the affiliation of such an institution, so far as it relates to the course of study specified in such order, shall stand terminated. On and from the date of termination of such affiliation, and for the period of three years thereafter, approval shall not be granted to that institution to start such or similar degree or post-graduate degree programme.
17. Contravention of the provisions relating to the specification of degrees as above shall also render the defaulting university and affiliated colleges liable for action as deemed fit by the UGC.

Status of De-specified degrees

18. The degrees which were specified in the earlier notification issued on 23.5.2009 but have now been de-specified, shall be treated as valid in case of the students who have already been enrolled in such degree programmes prior to this notification.

JASPAL S. SANDHU
Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in